कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

क्रमांकः–प–11(93)आरपीए/प्रशिक्षण/बीपीआरएण्डडी/2019/1433-38 दिनांकः– 12/2/21

सहायक महानिरीक्षक पुलिस
(प्रशिक्षण), राजस्थान, जयपुर।

विषयः– बी0पी0आरएण्डडी नई दिल्ली द्वारा आयोजित कोर्सेज में मनोनयन के संबंध में।

प्रसंगः– बी0पी0आरएण्डडी,नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 65/46/2018–19/प्रशि0/टी0डी0/बी0पी0आरएण्डडी दिनांक 01.07.2020 एवं इस कार्यालय के पत्र कमांक 2738 दिनांक 30.07.2020 एवं 65/17/2018–Trg./TD/BPR&D/(E-505) दिनांक 24.12.2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है, कि बी0पी0आर0एण्ड डी0 नई दिल्ली के सौजन्य से राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में माह मार्च–2021 में 5 दिवसीय निम्न कोर्स आयोजित किया जाना प्रस्तावित हैः–

क्र.सं.	कोर्सेज का नाम	प्रशिक्षण अवधि	रेंक	संस्था में उपस्थित की दिनांक
1	Training Course on “Investigators on Women's Safety”	15.03.2021 से 19.03.2021	उ0नि0 से पु0उ0अ0	**14.03.2021**

उक्त प्रशिक्षण कोर्स में सम्मिलित होने हेतु राजस्थान पुलिस से 30–35 उप निरीक्षक से पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारियों का कोर्स में मनोनयन कराने का श्रम करावें। उक्त कोर्स में मनोनीत किये जाने वाले अधिकारियों को अग्रेंजी भाषा का ज्ञान हो व वर्तमान में वे अनुसंधान अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रहे हो एवं जिन्होनें पूर्व में यह कोर्स नहीं किया हो, का मनोनयन कराने का श्रम करावें। उक्त कोर्स में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों को निर्देशित करावें कि वे **नोमिनेशन अधिकारियों की एस.एस.ओ. आईडी, ई–मेल आईडी व वाट्सअप मोबाइल नम्बर एवं सिविल औपचारिक कार्यालय वेश–भूषा के अलावा वर्किगं यूनिफॉर्म, सफेद पीटी ड्रेस मय सफेद पीटी शूज (जीन्स एवं स्पोट्स शूज की अनुमति नहीं है)** के साथ आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति दिनांक **14.03.2021** को सांयकाल तक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रस्तुत करेंगे। उक्त कोर्स में राजस्थान पुलिस अकादमी में निवास करना अनिवार्य होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि बीपीआरएण्डडी नई दिल्ली के प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में यह भी निर्देश फरमायें कि उपयुक्त **प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी स्वयं द्वारा अनुसंधान की गई महिला सुरक्षा से सम्बन्धित (विशेषकर यौन उत्पीड़न) की एक पत्रावली साथ लेकर आयें ताकि इनके द्वारा किये गये अनुसंधान का स्व मूल्यांकन एवं विश्लेषण कर सुधार की संभावना पर कार्यवाही की जा सके।**

निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षणार्थी की कोविड–19 की जांच करवाकर मय जांच रिपोर्ट एक दिवस पूर्व संस्थान में उपस्थिति देंगे। यह जाचं रिपोर्ट 72 घण्टे से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। बिना जांच रिपोर्ट के प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को सूचित कर पाबन्द करें। आरपीए में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिये जारी सामान्य दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है जिससे सभी प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराते हुए पालना हेतु निर्देशित करावें।

संलग्न :– दिशा–निर्देश की छायाप्रति

भवदीय,

(मनीष अग्रवाल)
उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. महानिरीक्षक/निदेशक (प्रशिक्षण), बीपीआरएण्डडी, नई दिल्ली।
2. श्री शिवाजी सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण), बीपीआरएण्डडी, नई दिल्ली।
3. सहायक निदेशक (प्रशासन/इण्डोर/आउटडोर/सीओई एवं विशेष पाठ्यक्रम/सीडीपीएसएम), आरपीए, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, आरपीए, जयपुर।

12/2/21

उप निदेशक एवं प्राचार्य,